



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं०: 1540-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2011-64-मा०सं०प्र०-02/2001

दिनांक : 06 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं०: 461-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/11-8-काविनी एवं वे०प्र०/80, दिनांक 28.05.2011 निर्गत आदेश की अनुरूपता में निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :-

1. वर्ष-1975-76 एवं 1985 से सीधी भर्ती से विशेष लेखधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर (अधिशाली अभियन्ता पद के समतुल्य वेतनमान में) नियुक्त हुए अधिकारियों को दिनांक 13.11.08 से रू० 18400-22400(महाप्रबन्धक लेखा पद का वेतनमान) तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृति सम्बन्धित संगत प्राविधानों के अन्तर्गत तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में अनुमन्य किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त तृतीय समयबद्ध वेतनमान में वेतन निर्धारण सामान्य स्तर पर होने की दशा में उसी स्तर पर अन्यथा अगले स्तर पर किया जायेगा।
3. उपरोक्तानुसार तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृति के पश्चात् कार्यालय ज्ञाप सं०: 981-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/94, दिनांक 14.08.10 (उनिलि के आदेश सं०: 1748-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2010, दिनांक 04.09.2010 द्वारा अंगीकृत) सपटित स्पष्टीकरण आदेश सं०: 1094-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10-4-काविनी/94, दिनांक 01.09.2010 (उनिलि के आदेश सं०: 1889-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2010, दिनांक 07.09.2010 द्वारा अंगीकृत) में निहित व्यवस्थायें प्रभावी करते हुए उपरोक्त तृतीय समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता प्रकल्पित वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 01.01.96 अथवा 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने पर, जो भी बाद में हो, से अनुमन्य कराये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता सम्बन्धी तद्विषयक संगत आदेशों में निहित प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक


सं०: -(1)-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2009 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।

- (3) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/कासिमपुर (अलीगढ)/ पनकी(कानपुर)।
- (4) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/2)/परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन/ (मानव संसाधन)/ (ईंधन)/ (सुरक्षा एवं पर्यावरण)/ (जानपद)/ (वाणिज्य)/ (आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (6) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (7) समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (8) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (9) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (10) समस्त उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (11) लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (12) कट फाइल।

आज्ञा से,



(सतीश चन्द्र खरे)

उप सचिव